राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

पीठासीन अधिकारी – पंकज शर्मा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर – 61/2023 जीसीएमएस नम्बर– 2023/130

1. जगदीश प्रसाद पुत्र बैजनाथ
2. गुलझारी लाल पुत्र बैजनाथ
3. खुशीराम पुत्र बैजनाथ
4. सीताराम पुत्र बैजनाथ
5. राकेश कुमार पुत्र बैजनाथ
6. ग्यारसी देवी पत्नि स्व0 सत्यनारायण पुत्र वधु बैजनाथ
7. अब्देश पुत्र स्व0 सत्यनारायण नवीरा बैजनाथ जाति समस्त ब्राहमण निवासी बुहाना जिला झुंझुंनू राज0

............वादीगण

बनाम

1. प्रभातीलाल पुत्र छांगाराम
2. निरंजन लाल पुत्र छांगाराम
3. शारदा देवी पत्नी किशोरीलाल
4. रमेश कुमार शर्मा पुत्र किशोरीलाल
5. मनमोहन शर्मा पुत्र किशोरीलाल
6. सतीश कुमार शर्मा पुत्र किशोरीलाल
7. रविकांत शर्मा पुत्र किशोरीलाल
8. सुमित्रा पुत्री किशोरीलाल
9. सविता पुत्री किशोरीलाल
10. सुमन पुत्री किशोरीलाल जाति समस्त ब्राहमण निवासी बुहाना जिला झुंझुंनू राज0
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0

..........प्रतिवादीगण

दावा– खाता विभाजन

–ःनिर्णयः– दिनांकः– 3/1/25

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

(1). वादी का वादपत्र रहा किः–

1. वादी की ओर से वाद पत्र पेश किया है कि ग्राम बुहाना स्थित खातेदारी कास्त की भूमि हाल जमाबंदी सं. 2075–78 के खसरा नम्बर 1667 रकबा 1.31 है., खसरा नम्बर 1669 रकबा 0.76 है. किता 2 कुल रकबा 2.07 है. व खसरा नम्बर 1013 रकबा 1.83 है. के खातेदार वादी संख्या 1 लगायत 5 व वादी संख्या 6 के पति व वादी संख्या 7 के पिता स्व. सत्यनारायण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 1, 2 तथा प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 10 खातेदार कास्तकार दर्ज रिकार्ड है।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

मूल वाद में अंतिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी,बुहाना जिलाझुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी– पंकज शर्मा आर.ए.एस.

राजस्व वाद सः–61/2023 **जीसीएमएस वाद संख्या : 2023/130**

जगदीश प्रसाद आदि बनाम प्रभातीलाल आदि

दावा खाता विभाजन

वादीगण की ओर से **श्री नरेश भारद्वाज एडवोकेट** की उपस्थिति में व प्रतिवादीगण की ओर से श्री शौकिन अली एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद को **श्री पंकज शर्मा उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता हैं और अंतिम डिक्री दी जाती हैं कि –

'' न्यायालय वाद वादीगण व प्रतिदावा प्रतिवादीगण बाबत खाता विभाजन किया जाना न्यायोचित पाता है। (क) कि वाके ग्राम बुहाना तह0 बुहाना स्थित खातेदारी कास्त की भूमि हाल जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के ख0 न0 1667 रकबा 1.31 है0 ख0 न0 1669 रकबा 0.76 है0 किता 2 कुल रकबा 2.07 है. में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता का नाम छोगाराम के स्थान पर छांगाराम दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। (2) वाके ग्राम बुहाना तह0 बुहाना स्थित खातेदारी कास्त की भूमि हाल जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के ख0 न0 1667 रकबा 1.31 है0 ख0 न0 1669 रकबा 0.76 है0 किता 2 कुल रकबा 2.07 है. व ख0 न0 1013 रकबा 1.83 है0 में वादीगण व प्रतिवादीगण का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श ''अ–1 लगायत अ–2'' व नक्शा प्रदर्श ''ब–1'' के वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित पाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श ''अ–1 लगायत अ–2'' व नक्शा प्रदर्श ''ब–1'' के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव ''अ–1 लगायत अ–2'' व नक्शा प्रदर्श ''ब–1'' इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। ''

यह आज तारीख 3/1/2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)